Accommodation for Government employees in Delhi

396. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of the Government employees in Delhi who have been provided with Government accommodation during the cur-Tent financial year;

(b) what is the number ofGovernment employees in Delhiwho have not yet been providedwith -Government accommodation till January, 1988; and

(c) by when such Government em ployees are likely to be provided with accommodation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Figures for allotments made are maintained for the calendar year and not for financial year. 11,981 government employees have been allotted government accommodation during the period from 1.1.87 to 31.12.1987.

(b) On the basis of the limited number of applications invited, 50664 persons were waiting for allotment of accommodation as on 31 1.1988.

(c) In view of the acute shortage of General Pool Accommodation, as also constraints of resources, it is not possible to set a target date by which all the persons on the waiting list could be provided the residential accommodation.

राज्यों को सूखा राहत

397. श्री मीर्जा इर्शाद बेग : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे का मुआवजा दिये जाने के संबंध में राज्यों की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है ;

(ख) केन्द्र द्वारा अब तक राज्य-वार कुल कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है और राज्यों द्वारा अपने विभिन्न स्रोतों से अब तक कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) राज्यों द्वारा कुल कितनी राशि की मांग की गई है और उनकी मांगों को किस तरीके से पूरा किया गया ; और

(घ) वित्तीय सहायता के अतिरिक्त अन्य किस प्रकार की मांगे, यदि कोई हैं, की गई और किस तरीके से पूरा किया गया या किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सरकार द्वारा सूखे का मुआवजा नहीं दिया जाता ।

(ख) और (ग) 1987 के सूखे के दौरान सूखा राहत के लिए राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा और राज्य सरकारों द्वारा सूचित किये गये व्यय के बारे में जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है । (नीचे देखिये) ।

(घ) वित्तीय सहायता के अलावा, राज्य सरकार ने मुख्य रूप से राहत कार्यों में लगे व्यक्तियों में वितरण करने के लिये खाद्यान्नों का आवंटन करने का अनुरोध किया है । सरकार की नीति के अनुसार राज्य सरकारों के पास यह विकल्प है कि वे रोजगार सृजन कार्यों के लिये निर्धारित धनराशि का 50 प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों पर खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त करें । इस नीति के अनुसार विवरण–II में दिये गये ब्योरे के अनुसार विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न आवंटित किये गये ।